

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1131 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 30/10/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद पिथौरागढ़ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0- 418/2015 के अन्तर्गत विधानसभा गंगोलीहाट में
सिनलेख से बुंगली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.20 हे0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक
निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।(प्रस्ताव सं0- 144566/2021

संदर्भ:-

आपका पत्रांक- 2812/12-1, दिनांक- 23.05.2025

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 2056/12-1, दिनांक 13.10.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके
सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

(चन्द्र शंखर जोशी)
वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

27 OCT 2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/ 05964-225234

पत्रांक: 2056 / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 13 अक्टूबर, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:-

जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 418/2015 के अन्तर्गत विधान सभा गंगोलीहाट में सिनलेख से बुंगली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.20 है० वनभूमि का गैर वानकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/144566/2021)

सन्दर्भ:-

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून का पत्रांक 2812/12-1 देहरादून दि० 23.05.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उच्च स्तर से उल्लेखित कमियों का निराकरण कर आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

क्र०सं०	आपत्ति	आख्या
1.	विषयांकित प्रकरण में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड महोदय द्वारा माह मार्च, 2025 में निर्गत ओदशानुसार संशोधित दरों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण के 10 वर्षों का प्राक्कलन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।	विषयांकित प्रकरण में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड महोदय द्वारा माह मार्च, 2025 में निर्गत ओदशों के क्रम में संशोधित दरों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण के 10 वर्षों का प्राक्कलन तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्या:- /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।